भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2287

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2023 को दिया जाना है।

11 श्रावण, 1945 (शक)

पीएमजी-दिशा के आकलन का प्रभाव

2287. डॉ. राजश्री मल्लिक:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के छह करोड़ ग्रामीण परिवारों में से प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए) के अंतर्गत शामिल किए गए ग्रामीण परिवारों का राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसमें अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, दिव्यांगों आदि सहित समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को नामांकित और प्रमाणित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने पीएमजी-दिशा और अन्य डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों के गुणवत्ता प्रभाव का आकलन करने की आवश्यकता पर बल दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): पिछले 9 वर्षों में भारत अपने नागरिकों के लाभ और उनके जीवन में बदलाव के लिए प्रौद्योगिकियों को तैनात करने में एक प्रमुख राष्ट्र बन गया है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार देश भर में, खासकर ग्रामीण इलाकों में नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अनुरूप, देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को कवर करने के लक्ष्य के साथ ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता की शुरुआत करने के लिए फरवरी 2017 में प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) शुरू किया गया था। अब तक, कुल 7.04 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है और 6.07 करोड़ को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 4.52 करोड़ उम्मीदवारों को देश भर में पीएमजीदिशा योजना के तहत प्रमाणित किया गया है। योजना की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

(**ख**): यह योजना विशेष रूप से समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों जैसे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), महिलाओं और दिव्यांगों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रासंगिक है। विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

वर्ग	दर्ज कराई	प्रशिक्षित	प्रमाणित
अनुसूचित जाति (एससी)	1,30,84,244	1,13,83,542	86,67,831
अनुसूचित जनजाति (एसटी)	62,81,446	53,50,235	38,66,541
महिलाएं	3,83,44,273	3,36,72,764	2,59,54,289
दिव्यांग	12,22,646	10,60,288	7,59,707

(ग) और (घ): सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुरूप, पीएमजीदिशा योजना के तहत प्रशिक्षण बढ़ाया गया था और आज तक, कुल 7.04 करोड़ उम्मीदवारों को पीएमजीदिशा योजना के तहत नामांकित किया गया है। इनमें से 6.07 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 4.52 करोड़ उम्मीदवारों को विधिवत प्रमाणित किया गया है।

अब तक, योजना के तीन प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए जा चुके हैं। पहला प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन 2017-18 में सामाजिक विकास परिषद (सीएसडी) द्वारा किया गया था। दूसरा प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन वर्ष 2019 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) - दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया था। योजना का अंतिम प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा किया गया था। अध्ययन का उद्देश्य 12 वीं योजना अवधि के बाद भी योजना को जारी रखने के एक बड़े पहलू के साथ योजना की जमीनी स्तर की स्थिति का विश्लेषण करना था। आईआईपीए ने योजना के व्यापक और पद्धतिगत मूल्यांकन के बाद रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम के रूप में पीएमजीदिशा न केवल देश में डिजिटल अंतर को पाटने में बल्कि इसे एक ज्ञान अर्थव्यवस्था और समाज में बदलने में भी अपरिहार्य भूमिका निभाता है। आईआईपीए ने पीएमजीदिशा योजना को जारी रखने की सिफारिश की।

****

अनुबंध

पीएमजीदिशा योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार स्थिति

क्र.सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत	प्रशिक्षित	प्रमाणित
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5,193	2,658	1,639
2	आंध्र प्रदेश	20,82,241	17,01,761	12,17,620
3	अरुणाचल प्रदेश	8,463	5,851	3,907
4	असम	27,06,509	23,47,178	18,64,992
5	बिहार	78,41,198	70,00,071	51,31,516
6	चंडीगढ़*	-	-	-
7	छत्तीसगढ	25,61,463	22,10,516	16,79,240
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	14,990	12,025	8,708
9	दिल्ली*	-	-	-
10	गोवा	58,569	53,784	40,000
11	गुजरात	29,00,076	25,48,303	18,79,228
12	हरियाणा	18,91,943	16,09,714	12,09,212
13	हिमाचल प्रदेश	5,58,917	4,34,904	3,21,253
14	जम्मू एवं कश्मीर	7,89,573	6,28,414	4,55,180
15	झारखंड	26,63,483	22,03,061	16,24,796
16	कर्नाटक	18,76,738	13,77,049	9,51,013
17	केरल	90,645	44,210	32,451
18	लक्षद्वीप	140	35	0
19	मध्य प्रदेश	57,27,927	51,00,896	37,84,166
20	महाराष्ट्र	58,67,576	50,58,777	36,53,603
21	मणिपुर	26,615	17,063	11,067
22	मेघालय	1,48,847	1,03,216	69,322
23	मिजोरम	28,608	21,436	13,337
24	नगालैंड	9,149	6,097	4,196
25	ओडिशा	35,31,957	29,92,895	22,67,531
26	पुदुच्चेरी	21,813	15,750	10,982
27	पंजाब	17,37,888	15,07,588	11,60,617
28	राजस्थान	41,81,420	36,34,744	26,63,643
29	सिक्किम	25,784	22,159	16,231
30	तमिलनाडु	15,84,515	12,85,410	9,51,791
31	तेलंगाना	12,69,125	10,29,072	7,14,447
32	त्रिपुरा	3,16,201	2,45,479	1,95,000
33	उत्तराखंड	7,88,200	6,75,131	5,06,000
34	उत्तर प्रदेश	1,64,46,000	1,46,49,215	1,10,95,275
35	पश्चिम बंगाल	26,62,971	22,26,749	17,38,026
36	लद्दाख	24,785	22,082	17,357
कुल		**7,04,49,522**	**6,07,93,293**	**4,52,93,346**

***चंडीगढ़ और दिल्ली शहरी समूह में हैं, इसलिए इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।**

*****